कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), चित्रकूट।

पत्रांक : 26 /डूडा/2026–27

दिनांक : 04 ~~अप्रैल~~ मई, 2026

ई–निविदा सूचना

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), चित्रकूट द्वारा जनपद चित्रकूट की नगर निकायों में इण्टरलॉकिंग टाईल्स से सड़क/सी0सी0 व नाली आदि निर्माण कार्यो की निविदायें राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से वेबसाईट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। सभी निविदायें समस्त अभिलेख वेबसाइट etender.up.nic.in पर दिनांक 05/05/2026 से दिनांक 25/05/2026 को समय 02:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जहॉ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है ठेकेदार दिनांक 25/05/2026 को समय 02:00 बजे तक वेबसाइट etender.up.nic.in पर ऑनलाइन अपनी निविदा दरें डाल सकते है। समिति द्वारा तकनीकी निविदा दिनांक 26/05/2026 समय 12:00 बजे निविदाओं को खोला जायेगा। कार्यो का विवरण एवं शर्ते निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्राकलन की अनुमानित लागत	टेण्डर श्रेणी	धरोहर राशि (02 प्रतिशत)	टेण्डर का मूल्य जी.एस.टी. सहित	कार्य की अवधि
01	न0पा0प0 चित्रकूटधाम	वार्ड न0–03 एस0डी0एम0 कालोनी में कन्धई प्रसाद के घर से रामप्यारे वर्मा के मकान होते हुये अतुल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	13.55	C	0.271	860.00	02 माह
02		वार्ड न0–03 एस0डी0एम0 कालोनी में प्रभुदयाल राजपूत से शिवशंकर फौजी के मकान होते हुये हीरालाल श्रीवास के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	22.40	B	0.45	950.00	02 माह
03	न0पं0 मानिकपुर	वार्ड नं0 04 कारखाना में गोलकी सोनकर के घर से गयादी अहिरवार के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	34.38	A	0.69	~~950.00~~ 2720.00	02 माह
04		वार्ड नं0 06 रानी लक्ष्मीबाई नगर में सरदार यादव (शारदा यादव) के मकान से डेरा तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	40.91	A	0.82	2720.00	02 माह

शर्ते :–आमंत्रित की जा रही उक्त निविदाओं की शासन स्तर से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु कुल स्वीकृति की **01 लगायत 04 में अंकित कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः निविदा स्वीकृति/निर्माण करने वाले न्यूनतम निविदादाता/ठेकेदार को निर्माण कार्य का 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण करने पर, गठित समिति द्वारा जांच किये जाने के उपरान्त प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान किया जायेगा, शेष भुगतान शासन स्तर से द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त होने के अनुरूप ही भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।**

01. 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम निविदा के साथ 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के अतिरिक्त, उतनी ही प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (ई0पी0जी0) जितनी न्यूनतम निविदा होगी, को एफ0डी0आर0 के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जो 05 वर्ष तक कार्यालय में बन्धक रहेगी। इसके अतिरिक्त जमानत अन्य रूप में स्वीकार नहीं होगी।
02. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (Biding Document) वेबसाइट http:/etender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जो कि दिनांक 05/05/2026 से 25/05/2026 तक डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ व भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सोनेपुर खाता संख्या–11510020684 आई0एफ0एस0सी0 SBIN0011207 मे निविदा मूल्य जमा कर अथवा आनलाइन शुल्क जमा कर रसीद की प्रति को निविदा के साथ संलग्न कर डाली जा सकती है।
03. निविदा के साथ 02 प्रतिशत जमा धरोहर धनराशि **(एन0एस0सी0/राष्ट्रीय कृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप मे)** को समायोजित करते हुये तथा निविदा स्वीकृति के उपरान्त 08 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा की जायेगी, जो परियोजना निदेशक, डूडा चित्रकूट के पक्ष में बंधक होगी, जो कि निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा अवैध मानी जायेगी व सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
04. निविदा के साथ संलग्न 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि तथा शेष 08 प्रतिशत अनुबंध के समय जमा करना होगा। मूल प्रति तथा बैंक चालान रसीद, शपथ पत्र, हैसियत तथा चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आदि वांछित अभिलेख बंद लिफाफे मे तकनीकी निविदा खुलने से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस मे) कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण, चित्रकूट मे प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा मे उक्त की निविदा मान्य नही होगी।
05. प्रत्येक बिड्र्स को रू0 100 के नॉन–ज्यूडिरियल स्टॉम्प पेपर के शपथ पथ पर सभी सूचनाए निर्धारित प्रपत्रों पर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता कि बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा–क्षमता) आंकलित की जा सकें।

06. "ए" श्रेणी के निविदाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम 02 करोड, "बी" श्रेणी के निविदाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम 75 लाख तथा "सी" श्रेणी के निविदाता जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत के इण्टरलॉकिंग/सीसी सड़क नाली निर्माण सफलतापूर्वक किये हो, वह निविदा में प्रतिभाग कर सकते है तथा उक्त उपरोक्तानुसार प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ई0 निविदा में समान कार्य का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।

07. शासनादेश संख्या–3070/78–2–2018–42आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलैक्ट्रनिक्स अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 03–01–2018 के बिन्दु संख्या–04 के अनुसार ई–टेण्डरिंग के समय निविदाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों (1–निविदा मूल्य की जमा रसीद, हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र के अलावा अदयतन तीन वर्ष का आई0टी0आर0, जीएसटी, पैन, श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन, एवं विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र व निर्धारित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी निविदा के समय वैबसाईट पर डाली जायेगी, प्रथम न्यूनतम दर निविदादाता से कार्यादेश के पूर्व धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा नोटरी शपथ पत्र एवं धरोहर–धनराशि मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी।

08. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। (शपथ–पत्र संलग्न करना)

09. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। (शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

10. कार्य का डिफेक्ट लाईबिलटी पीरियड कार्य समाप्ति के बाद दो वर्ष तक होगा, इस अवधि मे मार्ग की सतह में किसी प्रकार के दोष को ठीक करने की जिम्मेदारी पूर्ण से निविदादाता की होगी।

11. कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

12. रोडी/पत्थर/कोर्सेण्ड की रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर बिल से नियमानुसार विभाग द्वारा कटौती कर जमा की जायेगी।

13. कार्य के पूर्व/प्रगति व इण्टरलॉकिंग टाईल्स/सी0सी0 सड़क लगाने के पश्चात कार्य पूर्ण के डिजिटल फोटोग्राफी (एक समान लोकेशन)/रिकाडिंग पत्रावली में रखे जाने पर ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

14. जिस ठेकेदार/फर्म के साथ हुए अनुबन्ध में निर्माण कार्यो में विलम्ब/गुणवत्ता संबंधित शिकायते प्राप्त हुई हो ऐसे ठेकेदारों/फर्मो की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

15. अनुमानित आगणन धनराशि से निम्न निविदा डालने पर उतनी अतिरिक्त धनराशि (परफारमेन्स गारन्टी) नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2आडिट/08टी0सी0 2 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार निविदा न्यून होने पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध से पूर्व जमा करनी होगी।

16. निविदा की वैद्यता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी व एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र रू0 100 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर रू0 1 के रसीदी टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

17. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टैण्डर देने के पूर्व करना होगा बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

18. न्यूनतम निविदादाता को कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के क्रय का फर्म द्वारा निर्गत बिल फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर सहित पत्रावली पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उसके उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगें।

19. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को ब्लैक लिस्ट करने पर विचार किया जायेगा। जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, जो निविदाताओं को मान्य होगा।

20. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

21. कार्य निष्पादन के उपरान्त तत्समय शासन से प्रभावी जी0एस0टी0 नियमानुसार मान्य होगा।

22. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा), चित्रकूट कार्यालय में **दिनांक** 25/05/2026 **सायं 04:00 बजे तक** पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत् रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नॉन रिस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिये निविदा आमंत्रणकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

23.1 निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमांड ड्राफ्ट जो कि परियोजना निदेशक, डूडा चित्रकूट में देय होना अनिवार्य है।

23.2 धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेंट) में निर्धारित एफ.डी.आर. के रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैद्य होनी चाहिए, जो कि परियोजना निदेशक, डूडा चित्रकूट के नाम मूल रूप में बन्धक होगी। अन्य किसी रूप में धरोहर स्वीकार नहीं होगी।

23.3 पंजीकरण, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

23.4 स्वहस्ताक्षरित (फर्म की स्थिति स्टॉफ सहित), टेण्डर डॉक्यूमेंटस।

23.5 अनुभव प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0एन संबंधी प्रमाण –पत्र।

23.6 विगत तीन वर्षो का आई0टी0आर0।

23.7 रू0 100/– के नॉन जूडिसियल स्टाम्प (रसीदी टिकट एवं स्वहस्ताक्षरित)

23.8 रू0 100/— के नॉन जूडिसियल स्टाम्प पर शपथ—पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
23.9 विभाग में रिश्तेदार एवं अन्य निविदा संबंधी आवश्यक प्रपत्र।

24 आई0टी0बी0 के क्लॉज संख्या 4.4 बी(सी)(प) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिए योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिससे उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी विभाग एवं उससे सम्बन्धित में कार्यरत हों।

25 निविदादाता को निविदा प्रपत्र पर अपने फर्म की श्रेणी व प्रोप्राइटर का स्पष्ट नाम, पता, हस्ताक्षर, मोबाईल नंबर स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग एवं संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि निविदा प्रपत्र पर पाई गयी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

26 ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।

27 विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बतायें बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा चित्रकूट का आदेश मान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र चित्रकूट का होगा।

28 कराये गये कार्य के बिजकों से आयकर, श्रम उपकर व रॉयल्टी अथवा अन्य कटौती शासकीय नियमों के अनुरूप की जायेंगी।

29 उपरोक्त कार्य पर जी0एस0टी0 माल एवं सेवाकर अधिनियम—2017 कि प्राविधानों के अनुसार लागू होगी।

30 सूची क्रमांक 01 लगायत 04 तक अंकित कार्यों के मदों की दरों में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नही है।

31 **तकनीकी स्टाफ संबधी आवश्यकतायें :—**

श्रेणी	कम से कम तकनीकी स्टाफ
A	सिविल/विद्युत कार्य हेतु सम्बन्धित ट्रेड मे स्नातक अभियन्ता/डिप्लोमाधारी अभि0 ठेकेदार/फर्म को नियुक्त करना होगा।
B	सिविल/विद्युत कार्य हेतु डिप्लोमाधारी अभि0 ठेकेदार/फर्म को नियुक्त करना होगा।
C	श्रेणी हेतु तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नही होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारों को दरें समान होने पर वरीयता दी जोयगी जिसके पास पूर्ण कालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हों।

32 डूडा चित्रकूट में श्रेणीवार पंजीकृत किये जाने हेतु ठेकेदारो द्वारा निम्न तालिका के अनुरूप अपनी सीमान्तर्गत निविदा स्वीकार्य होगी।

श्रेणी	आवश्यक हैसियक प्रमाण पत्र	कार्य का अनुभव	कार्य वर्गीकरण	पंजीकरण शुल्क (वित्तीय वर्ष हेतु)
A	50 लाख	पिछले तीन वर्षो में कम से कम 02 करोड़ से अधिक लागत के सिविल कार्य।	किसी भी राशि तक के कार्य	60,000—00 रू0
B	30 लाख	पिछले तीन वर्षो में कम से कम 75 लाख से अधिक लागत के सिविल कार्य।	30 लाख तक के कार्य	40,000—00 रू0
C	20 लाख	पिछले तीन वर्षो में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत के सिविल कार्य।	15 लाख तक के कार्य	20,000—00 रू0
नोट :— पंजीकरण शुल्क एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा, जो जमा करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा।				

33 अन्य सम्बन्धित जानकारियां कार्यालय डूडा, चित्रकूट से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण, चित्रकूट।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा), चित्रकूट।
2. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), चित्रकूट।
3. अवर अभियन्ता, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), चित्रकूट।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण, चित्रकूट।

Signature Not Verified

Digitally signed by AJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.05.04 15:47:33 IST
Location: Uttar Pradesh-UP